तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद/आवेदन संख्या 209/17 बनवान भोमाराम/ शेराराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर हाथीतला पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 8-5-18 को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर हाथीतला पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाड़मेर	
8.5.18 भोमाराम	यह पत्रावली बमुकाम हाथीतला राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के अन्तर्गत पक्षकारान न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पेश हुई। प्रार्थी भोमाराम एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 01 से 04 एवं 08 उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत, हाथीतला द्वारा दी गई। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम हाथीतला के नामान्तरकरण सं0 394 के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी चौसाला संवत 2043 से 2046 में अंकन करते समय खसरा नं. 623 रकबा 53–14 विस्वा भूमि का अंकन गलत रूप से बेचान किये गये खसरा नं. 136 के अनुसार कर दिया जो अशुद्ध प्रविष्टि है। उक्त खसरा नं. 623 रकबा 53–14 बीघा वर्तमान में नवसृजित ग्राम मेहरामपुरा में स्थित है। प्रार्थी ने नामान्तरकरण सं0 394 के अनुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन किये हेतु निवेदन किया है। उपस्थित अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के आवेदनानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन किये जाने की सहमति व्यक्त की। अप्रार्थी सं0 02, 03 एवं 06 से 09 ने दिनांक 09.11.2017 को आवेदन के जवाब में नामान्तरकरण सं0 394 के अनुसार ग्राम मेहरामपुरा में स्थित खसरा नं. 623 रकबा 14 बीघा भूमि का वर्तमान जमाबंदी में संशोधन किये जाने की सहमति व्यक्त की है। आयोजित शिविर में तहसीलदार, बाड़मेर से प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जिसके अनुसार ग्राम मेहरामपुरा में स्थित खसरा नं. 623 में शेरा पुत्र सुरता का	(1) शेराराम (2) कृष्णाराम (3) कलाराम (4) हनुमान 8 तगाराम मगराज मगराज गोदारा सरपंच ग्राम पंचायत हाथीतला पं. स. बाड़मेर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

1/6 हिस्सा हनुमान अचला पि. गंगा 1/6, कुंभा वल्द सुरता 1/6, अचला, जेठाराम, तगाराम, ठाकराराम पि. मूलाराम 1/6, कला वल्द सुरता 1/6, भोमा वल्द सुरता 1/6 हिस्सा खातेदारी में संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, बाड़मेर के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम मेहरामपुरा के संख्या 623 रकबा 53–14 बीघा भूमि में खातेदार शेरा पुत्र सुरता का 1/6 हिस्सा हनुमान अचला पि. गंगा 1/6, कुंभा वल्द सुरता 1/6, अचला, जेठाराम, तगाराम, ठाकराराम पि. मूलाराम 1/6, कला वल्द सुरता 1/6, भोमा वल्द सुरता 1/6 हिस्सा वर्तमान जमाबंदी चौसला में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाड़मेर तदानुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। ~~खातेदारी में~~ पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तरा हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner